383

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2012 जिला–सतना

R-4142-I/12

1— श्रीमती सुनीता सिंह पुत्री श्री हीरा सिंह पत्नी श्री राकेश प्रताप सिंह

2— रामदीन पुत्र श्री परमेश्वरदीन

3— रामाधार सिंह पुत्र विशेषर सिंह

4— शिवाधार सिंह पुत्र मोदी सिंह

निवासीगण— ग्राम अबेर तहसील कोटर, जिला–सतना (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरुद्ध

1— श्रीमती सुलोचना पत्नी रामसनेही सिंह

2— रामसनेही सिंह पुत्र रामकुमार सिंह

निवासीगण— ग्राम अबेर तहसील कोटर, जिला–सतना (म.प्र.)

3— मध्यप्रदेश शासन

.... अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार, तहसील कोटर, जिला–सतना द्वारा प्रकरण क्रमांक 2–अ–12/12–13 में पारित आदेश दिनांक 21.11.2012 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1— यहकि, ग्राम अबेर के आराजी नं. 164/1 रकवा 0.15, 165/1 रकवा 1.20, 163/1क रकवा 1.98 किता 03 रकवा 3.33 एकड़ के सीमांकन बाबत अनावेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा तहसीलदार कोटर के समक्ष संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर आवेदकगण द्वारा विधिवत् रूप से आपत्ति इस आधार पर प्रस्तुत की, कि सीमांकन से पूर्व उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई। सुनीता सिंह भूमि आराजी नं 163/1ख/2 रकवा 0.20 डिसमिल एवं आराजी नं. 163/3670/2/1 रकवा 0.80 डिसमिल की भूमि स्वामी हैं। ऐसी स्थिति में उसे सुने बिना प्रकरण में

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–4142–एक/2012 जिला–सतना

श्रीमती सुनीता सिंह आदि विरूद्ध श्रीमती सुलोचना आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों हस्ताक्षर
12–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित । 3. यह निगरानी तहसीलदार, तहसील कोटर, जिला–सतना के प्रकरण क्रमांक 02/अ–12/2012–13 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 21–11–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 08–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) 12.3.19 सदस्य	